

सेवा में,

1. आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: सहायता-प्राप्त/गैर सहायता-प्राप्त स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता ।

महोदय/महोदया,

दिनांक 15.05.2014 के एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में, एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमेय निदर्शी कार्यों की क्षेत्र-वार प्रकार में विहित अनुबंध-IV (ड.) के 'शिक्षा' शीर्षक में स्कीम-2 के क्र.सं.2 पर प्रविष्टि के हिन्दी रूपांतरण में चूकवश त्रुटि हुई है । दिशा-निर्देशों में यथा प्रयुक्त अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतरण निम्नानुसार दिया गया है:

अंग्रेजी रूपांतरण (दिशा-निर्देशों का पृ.सं.51)	हिन्दी रूपांतरण (दिशा-निर्देशों का 51)
सरकारी सहायता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन	सरकारी सहायता-प्राप्त और गैर सहायता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन

2. अंग्रेजी रूपांतरण सही हैं ।
3. हिन्दी रूपांतरण जो दिशा-निर्देशों में गलत दिखाई देता है, उसे सही रूप में निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,



(तपन मिश्र)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स का काम देख रहे नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।